न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 69 / 2017

RCMS No. 2017/00300

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
श्रीमति समुदेवी पत्नी दुर्गाराम उर्फ सुमु पत्नी दरगाराम जाति (भांबी) मेघवाल निवासी सेसली तहसील बाली		1. ग्राम पंचायत सेसली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेसली तहसील बाली 2. छोगाराम पुत्र नगाजी जाति सुथार निवासी सेसली तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/2/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या ..... संकल्प संख्या ... दिनांक .... की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 13.03.1983 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम सेसली के हाल खसरा नम्बर 367 रकबा 3.73 हैक्टेयर किस्म0 गै0मु0 मकान की भूमि आई हुई स्थित है, जो भूमि पूर्व में कृषि भूमि थी, जिसमें प्रार्थीया एवं उसके परिवार का 0.15 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग था। उक्त खसरा नम्बर 367 रकबा 3.73 हैक्टेयर में से 0.15 हैक्टेयर की भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा होने के कारण तहसीलदार बाली द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की। उक्त भूमि पर प्रार्थी निर्विवादित रूप से काबिज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया ने केलूपोश का ढालिया एवं पक्की चारदीवारी का निर्माण करवाया है। जिसके उत्तर में पुखराज चौधरी का बाडा, दक्षिण में पकाराम कुम्हार का बाडा, पूर्व में आम रास्ता व निकाल एवं पश्चिम में खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 2 को जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड की ग्राम पंचायत से मांग करने पर ग्राम पंचायत द्वारा यह जाहिर किया कि उक्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि गत 40 वर्षो से प्रार्थी के उपयोग उपभोग में है, जिसका ग्राम पंचायत को किसी अन्य व्यक्ति को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर प्रार्थीया का

अति० जिला कलैक्टर, पाली

मकान निर्मित है। इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई अधिकार निहित नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में बिना कोई मिसल कायम किए, विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किऐ बिना, जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी पट्टा अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या ..... संकल्प संख्या ... दिनांक .... की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 13.03.1983 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत सेसली ने अपने पत्र दिनांक 30.11.2017 एवं 04.01.2018 के जरिये अवगत कराया कि प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस हेतु निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे वास्तविक तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जांच के पश्चात कानून के मुताबिक नये सिरे से कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या ..... संकल्प संख्या ... दिनांक .... की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 13.03.1983 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत सेसली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली